

5/2/19 वकील वादी अनु. | वादी अनु. दिनांक 10.4.13 से
आदिनांक समन फेरा नहीं | अतः CPC 09R5 के तहत
वादी का कागद खारिज किया जाता है | अशुभ
सुमार होकर काखिल अफसर है | JK